न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 69 / 2025 बउनवानी काशी सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह **बनाम** तहसीलदार तलावडा निवासी मच्छीपुरा तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 189

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व. अहलकार जो हुकम की तामील में जारी हुआ
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम मच्छीपुरा तहसील गंगापुर के ख0न0 5 एवं ख0न0 12 के संबंध मे सम्वत् 2008 से 2017 तक कितने रिकार्ड मे किसके नाम दर्ज था सहित कुल 3 बिन्दुओ की सूचना* "तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा. को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ / 2025 / 213 दिनांक 29.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.5.2025 से चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में अंकित ख0न0 ठाकुर सुरजन सिंह के नाम दर्ज नही होने के अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में तहसीलदार तलावडा द्वारा जरिये पत्रांक 859 दिनांक 25.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे संधारित नही होने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:38:02 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner